उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या- 49/2019/1077 /छप्पन-2019-40/2017
लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

राजकीय वायुयान किंग एयर बी-200 जी0टी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 काजिम रजा , पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 11 फरवरी, 2019 से 23 फरवरी, 2019 तक एवं कै0 तापस गुहा, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 25 मार्च, 2019 से 06 अप्रैल, 2019 तक (07 यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) मे0 फ्लाईट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कंसास, यू0एस0ए0 की ट्रेनिंग फैसिलिटी में प्रो-लाइन-21 व इनीशियल ट्रेनिंग कराए जाने हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-136/2018/2128(6)/छप्पन-2018-40/17 दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 तथा शासनादेश संख्या-135/2018/2128(4)/छप्पन-2018-40/17 दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रदत्त अनुमति एतदद्वारा निरस्त की जाती है।

2- इसके अतिरिक्त राजकीय वायुयान किंग एयर बी-200 जी0टी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 काजिम रजा , पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 11 फरवरी, 2019 से 23 फरवरी, 2019 तक एवं कै0 तापस गुहा, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 25 मार्च, 2019 से 06 अप्रैल, 2019 तक (07 यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) मे0 फ्लाईट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कंसास, यू0एस0ए0 की ट्रेनिंग फैसिलिटी में प्रो-लाइन-21 व इनीशियल ट्रेनिंग कराए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-134/2018/2128/छप्पन-2018-40/17 दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 में कै0 काजिम रजा एवं कै0 तापस गुहा के प्रशिक्षण के निमित्त व्यवस्थित की गई धनराशि को घटाते हुए प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति मात्र कै0 सी0पी0 सिंह के प्रशिक्षण हेतु समझी जाए।

3- उपर्युक्त शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

संख्या- 49/2019/1077(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश निदेशालय। ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
8- सम्बन्धित अधिकारी।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।